न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

(पीठासीन अधिकारीः—श्री मेघना चौधरी, आर0ए0एस0)

अपील संख्याः—272/2017/225 (2017/00272)

1. शकुन्तला मालवीया पत्नी जसवंत सिंह मालवीया, जाति मेवाड़ा (कलाल) निवासी लवनेष्ट मकान नंबर 214—बी, कुन्दन नगर, अजमेर ।

अपीलांट

बनाम

1. पाबू पुत्र मोती, जाति गुर्जर, निवासी ग्राम चाचियावास, तहसील व जिला अजमेर (स्वर्गवास) जरिये वारिसानः—
   1/1— श्रीमती मांगी पत्नी स्व0 पाबू, जाति गुर्जर,
   1/2— नौरत पुत्र स्व0 पाबू, जाति गुर्जर,
   1/3— तेजू पुत्र स्व0 पाबू, जाति गुर्जर,
   1/4— लाली उर्फ मोरम पुत्री स्व0 पाबू, जाति गुर्जर,
   1/5— मनोहर पुत्र स्व0 पाबू, जाति गुर्जर,
   समस्त निवासीगण ग्राम चाचियावास, तह0 व जिला अजमेर ।
2. रतनसिंह चौहान पुत्र भंवरलाल चौहान, जाति मेवाड़ा (कलाल), निवासी 28, औंकार नगर, रोहट हाउस गौखले लेन, अजमेर ।
3. लक्ष्मण पुत्र हीरालाल, जाति गुर्जर, निवासी छातडी, तहसील व जिला अजमेर ।
4. प्रहलाद पुत्र हीरालाल, जाति गुर्जर, निवासी छातड़ी, तहसील व जिला अजमेर ।
5. खूमा पुत्र हीरालाल, जाति गुर्जर, निवासी छातडी, तहसील व जिला अजमेर ।
6. श्रीमती न्याली पुत्री हीरालाल गुर्जर, जाति गुर्जर, निवासी छातडी, तह0 व जिला अजमेर ।
7. देवकरण पुत्र सादूला, जाति गुर्जर, निवासी छातडी, तहसील व जिला अजमेर ।
8. गोपाल पुत्र सहदेव, जाति गुर्जर, निवासी छातडी, तहसील व जिला अजमेर ।
9. लाला पुत्र सहदेव, जाति गुर्जर, नि0 छातडी, तहसील व जिला अजमेर।
10. देबी पुत्र सहदेव, जाति गुर्जर, नि0 छातडी, तहसील व जिला अजमेर।
11. मोती पुत्र सहदेव, जाति गुर्जर, नि0 छातडी, तहसील व जिला अजमेर।
12. रामावतार पुत्र सहदेव, जाति गुर्जर, नि0 छातडी, तहसील व जिला अजमेर ।
13. हरी पुत्र सहदेव, जाति गुर्जर, नि0 छातडी, तहसील व जिला अजमेर।
14. श्रीमती कला चौहान पत्नी जयसिंह चौहान, जाति मेवाडा (कलाल) निवासी 28, औंकार नगर, रोहट हाउस गौखले लेन, अजमेर ।
15. उप पंजीयक, प्रथम, पंजीयन विभाग, जयपुर रोड़, अजमेर ।
16. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, अजमेर ।

रेस्पोडेंटस

अपील अंतर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध आदेश विद्वान सहायक कलक्टर (मुख्यालय), अजमेर दिनांक 8.7.2016 अंतर्गत प्रकरण संख्या 122/2014.

उपस्थितः—

1. श्री निर्मल कुमार जैन, वकील अपीलांट ।
2. श्री शांतिप्रकाश औझा, वकील रेस्पो0 संख्या 1/1 से 1/5.
3. रेस्पो0 संख्या 2 से 14 अनुपस्थित

निर्णय

दिनांकः— 21.12.2020

1. यह अपील विद्वान सहायक कलक्टर (मुख्यालय), अजमेर के आदेश दिनांक 8.7.2016 के विरूद्ध इस न्यायालय मे प्रस्तुत हुई है ।
2. प्रार्थीया/अपीलांट ने अधी0न्याया0 में वाद के साथ प्रार्थना पत्र धारा 212 राज0काश्त0अधि0 1955 प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थना पत्र में वर्णित अपीलाधीन भूमिया जो कि ग्राम चाचियावास, तहसील व जिला अजमेर में स्थित है जिसमें से 5/12 हिस्सा की भूमि जिसे प्रार्थीया/अपीलांट के द्वारा खातेदार श्रवणी पत्नी प्रताप, बलवीर, हनुमान पुत्रगण प्रताप, कमला, विमला, संतोष पुत्रियां प्रताप, जाति गुर्जर से जरिये पंजीबद्ध विक्रय पत्र दिनांक 15.12.2008 को क्रय कब्जा प्राप्त किया तथा उक्त विक्रय पत्र की पालना में नामांतकरण संख्या 650 दिनांक 7.8.2009 के अनुसार वर्किग जमाबंदी में प्रार्थीया/अपीलांट खातेदार दर्ज है । परन्तु वर्तमान जमाबंदी में भू—प्रबंध विभाग, अजमेर के द्वारा वर्किग जमाबंदी के इंद्राज के प्रतिकूल वर्तमान जमाबंदी में प्रार्थीया/अपीलांट का 5/12 हिस्सा के स्थान पर 2/24 हिस्सा गलत इंद्राज कर दिया गया । उक्त गलत इंद्राज के आधार पर प्रतिवादीगण विवादित आराजियात में अपीलांट के उपयोग व उपभोग में बाधा उत्पन्न कर रहे है तथा आरायिजात को अन्यंत्र बेचान, हस्तातंरण करने पर आमादा है । अतः वाद के विचाराधीन रहते अप्रार्थीगण/रेस्पो0 संख्या 1 से 14 के विरूद्ध अस्थायी निषेधाज्ञा प्रसारित की जाकर उन्हें पाबंद किया जावे कि वे आवेदन पत्र के पैरा संख्या 2 में दर्शायी भूमि जिसमें प्रार्थिया का 5/12 हिस्सा है, के प्रार्थीया के विधिक अधिकारों में तथा उपयोग व उपभोग में किसी प्रकार से दखल व्यवधान नहीं करे, किसी भी अन्य को बेचान हस्तातंरण नहीं की जावे, सरकारी, गैर सरकारी विभाग बैंक, संस्था आदि के समक्ष मोरगेज नहीं की जावे । अधी0न्याया0 ने प्रार्थना पत्र आदेश 9 नियम 5 जा0दी0 के तहत अप्रार्थीगण के तलबी नोटिस पेश नहीं किये जाने से दिनांक 8.7.2016 को खारिज कर दिया । अधी0न्याया0 के इस आदेश से असंतुष्ट होकर अपीलांट ने यह अपील इस न्यायालय में पेश की है ।
3. अधी0न्याया0 का रिकार्ड प्राप्त होने के उपरांत प्रकरण में उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई ।
4. विद्वान वकील अपीलांटस ने बहस में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय क निर्णय न्याय, नियम एवं विधि के प्रतिकूल होने से निरस्तनीय है । अधी0न्याया0 ने पत्रावली पर नियत तारीख दिनांक 24.7.2016 से पूर्व अपीलांट को बिना सूचित किये दिनांक 8.7.2016 को कैम्प कोर्ट न्याय आपके द्वार, माकड़वाली में अपीलांट का प्रार्थना पत्र धारा 212 निरस्त कर दिया । पत्रावली कैम्प कोर्ट न्याय आपके द्वार में रखे जाने बाबत् अपीलांट को किसी प्रकार की सूचना नहीं दी गई । विवादित भूमि ग्राम चाचियावास में स्थित है तथा ग्राम चाचियावास में भी कैम्प लगाया

गया था इसलिये विवादित भूमि बाबत् प्रकरण ग्राम माकड़वाली में किस प्रकार रखा जा सकता था । अधी0न्याया0 के समक्ष अप्रार्थीगण के नोटिस सम्मन पूर्व में ही तामील हो चुके थे । वादपत्र की आदेशिका दिनांक 15.3.2017 से यह स्पष्ट है कि प्रतिवादीगण संख्या 2 से 6 व 9 से 14 बावजूद तामील के अनुपस्थित नहीं हुए उनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही के आदेश पारित किये गये थे । इस प्रकार यह प्रमाणित है कि अधी0न्याया0 के समक्ष विचाराधीन प्रार्थना पत्र धारा 212 के प्रकरण में भी शेष अप्रार्थीगण की तामील हो चुकी थी परन्तु अधी0न्याया0 के द्वारा अपीलाधीन आदेश इस आधार पर पारित किया गया कि शेष अप्रार्थीगण की तलबी हेतु तलवाना सम्मन प्रस्तुत नहीं किये गये जबकि शेष अप्रार्थीगण की तलबी हेतु दिनांक 27.4.2015 की तलबी हेतु तलवाना मय नोटिस दिनांक 4.5.2015 को ही प्रस्तुत कर दिये गये थे एवं पुनः दिनांक 23.11.2015 को भी तलवाना नोटिस प्रस्तुत कर दिय गये थे एवं तामीली रिपोर्ट अधी0न्याया0 की पत्रावली पर प्रस्तुत की इसी आधार पर वाद में दिनांक 15.3.2017 को शेष प्रतिवादीगण के उपस्थित नही होने पर उनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही के आदेश पारित किये गये थे । विद्वान वकील अपीलांट ने बहस में आगे कथन किया कि अपीलाधीन भूमि पर अपीलांट अपील में वर्णितानुसार एवं जरिये पंजीबद्ध विक्रय पत्र तथा वर्किग जमाबंदी के अनुसार खातेदार दर्ज है एवं काबिज है । अप्रार्थीगण अपीलांट के विधिक अधिकारों में तथा उपयोग व उपभोग में बाधा उत्पन्न करने पर आमादा है जिन्हें अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाना आवश्यक था । अधी0न्याया0 ने पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों को नजरअदांज कर केवल मात्र तकनीकी आधार पर प्रार्थना पत्र को खारिज करने में विधिक त्रुटि कारित की है । अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अधी0न्याया0 का आदेश निरस्त किया जावे तथा अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 212 राज0काश्त0अधि0 स्वीकार कर अप्रार्थीगण को ताफैसला मूल वाद अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे। विद्वान वकील अपीलांट ने अपने कथनों के समर्थन में आर0एल0डब्ल्यू0 2017 (1) पेज 481 का न्यायिक दृष्टांत उद्धरित किया।

5. विद्वान वकील अपीलांट ने अपील के साथ प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधि0 पेश कर निवेदन किया कि अधी0न्याया0 के समक्ष तारीख पेशी दिनांक 7.9.2017 नियत थी किन्तु उक्त तारीख को प्रकरण न्यायालय की दैनिक सूची में नहीं था । अपीलांट द्वारा अधिवक्ता से जानकारी करने पर दिनांक 9.10.2017 को यह बताया गया कि अपीलाधीन आदेश दिनांक 8.7.2016 को ही हो चुका है इस प्रकार अपीलाधीन आदेश दिनांक 8.7.2017 की सर्वप्रथम जानकारी दिनांक 9.10.2017 को ही हुई थी । अपीलांट उसके पीहर गई हुई थी जो दिनांक 29.10.2017 को अजमेर आने पर उनके अधिवक्ता से संपर्क करने पर अपीलाधीन आदेश की जानकारी की गई । तत्पश्चात् जानकारी के अनुसार बिना किसी विलंब के यह अपील पेश की गई है । अपील में हुआ विलंब उचित एवं सद्भाविक है । अतः अपील में हुआ विलंब माफ किया जाकर अपील अंदर मियाद शुमार की जावे ।

6. विद्वान वकील रेस्पो0 संख्या 1/1 से 1/5 ने बहस में कथन किया कि अधी0न्याया0 का आदेश विधिसम्मत् है । अपीलांट द्वारा न्यायालय के आदेश दिनांक 27.4.2015 की पालना नहीं किये जाने से अधी0न्याया0 ने प्रार्थीया/अपीलांट का प्रार्थना पत्र आदेश 9 नियम 5 जा0दी0 के तहत विधिसम्मत् रूप से निरस्त किया है । अपीलांट अधी0न्याया0 के समक्ष प्रार्थना पत्र के निस्तारण हेतु सजग नहीं रहा है । पक्षकारों के सम्मन नोटिस पेश नहीं करने पर प्रार्थना पत्र खारिज किया जा सकता है । इस

संबंध में विद्वान वकील रेस्पो0 ने आर0आर0टी0 2012 (1) पेज 290 का न्यायिक दृष्टांत उद्धरित किया।

7. हमनें उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया । हम सर्वप्रथम अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधि0 का निस्तारण करना उचित समझते है । अपीलांट ने अपने प्रार्थना पत्र में विलंब के जो कारण अंकित किये है वे उचित प्रतीत होते है । अतः न्यायहित में अपील में हुआ विलंब माफ किया जाकर अपील अंदर मियाद शुमार की जाती है।

8. प्रकरण में गुणावगुण पर पत्रावली का अवलोकन किया गया । प्रार्थी ने अधी0न्याया0 के समक्ष दिनांक 12.12.2014 को प्रार्थना पत्र धारा 212 राज0काश्त0अधि0 के तहत प्रस्तुत कर कथन किया कि प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 2 में वर्णित भूमियां जो ग्राम चाचियावास, तहसील अजमेर में स्थित है जिसे अपीलांट/प्रार्थीया द्वारा खातेदारान से 5/12 वां हिस्सा पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 15.12.2008 से क्रय किया गया तथा नामांतकरण संख्या 650 दिनांक 7.8.2009 को स्वीकृत किया जाकर वर्किंग जमाबंदी संवत् 2041 में खातेदार काश्तकार दर्ज है परन्तु वर्तमान जमाबंदी संवत् 2065 में भू–प्रबंध अधिकारियों द्वारा बिना किसी सक्षम न्यायालय के आदेश के प्रार्थीया/अपीलांट के 5/12 हिस्से के स्थान पर 2/24 हिस्सा अंकित कर दिया एवं उक्त गलत इंद्राज की आड़ में अप्रार्थी/रेस्पो0 अपीलांट के कब्जे काश्त में दखल कर रहे है एवं अन्य को बेचान व भारग्रस्त करने की धमकियां दे रहे है । इस कारण अप्रार्थी/रेस्पो0 को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे । दिनांक 27.4.2015 की आदेशिका के अनुसार पत्रावली पेश हुई प्रार्थी अभिभाषक उपस्थित, अप्रार्थी संख्या 1 के अभिभाषक उपस्थित, अप्रार्थी संख्या 7 की ओर से दिनांक 27.4.2015 को अधिवक्ता श्री मोहम्मद इकबाल द्वारा वकालतनामा पेश किया गया तथा अप्रार्थी संख्या 1, 7 व सरकार द्वारा जवाब हेतु समय चाहा तथा शेष अप्रार्थीगण 2, 3, 4 बावजूद तामील नोटिस आज भी उपस्थित नही है । मिसल दिनांक 28.5.2015 को प्रस्तुत हो । इसके पश्चात् दिनांक 28.5.2015 से दिनांक 22.6.25016 तक पत्रावली में सील लगाकर तारीखें तब्दील की गई है । दिनांक 22.6.2016 की आदेशिका के अनुसार कैम्प कोर्ट अरड़का में पत्रावली रखकर दिनांक 27.4.2016 को न्यायालय में पत्रावली में पेश होने हेतु आदेश पारित किये गये परन्तु दिनांक 8.7.2016 को पत्रावली बिना अपीलांट को सूचित किये दिनांक 8.7.2016 को कैम्प माकड़वाली में रखकर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र आदेश 9 नियम 5 जा0दी0 अदम तकमील में खारिज कर दिया जबकि अपीलांट द्वारा पूर्व में प्रार्थना पत्र के साथ जो नोटिस पेश किये थे उसके संदर्भ में दिनांक 27.4.2015 की आदेशिका अनुसार अप्रार्थी संख्या 1 व 7 की ओर से अभिभाषक उपस्थित थे एवं अप्रार्थी संख्या 1 व 7 सरकार द्वारा जवाब हेतु समय चाहा गया एवं शेष अप्रार्थीगण संख्या 2, 3 व 4 बावजूद तामील गैर हाजिर रहे । शेष अप्रार्थीगण संख्या 6, 8, 9 से 14 की तलबी के संदर्भ में अधी0न्याया0 द्वारा अपीलांट/प्रार्थी को पुनः नोटिस तलवाना पेश करने के संबंध में कोई भी आदेश पारित नहीं किया गया इसके बावजूद अपीलांट/प्रार्थी द्वारा दिनांक 23.11.2015 को तारीख पेशी दिनांक 12.1.2016 के नोटिस पुनः शेष अप्रार्थीगण श्रीमती न्याली, गोपाल, लाला, देवी, रामावतार, हरी के नोटिस पेश किये गये जिसे अधी0न्याया0 द्वारा जारी किये गये है । उक्त नोटिस तहसील कार्यालय द्वारा तामील करवाकर तामील रिपोर्ट दिनांक 30.11.2015 को प्रस्तुत किये गये । इस प्रकार अधी0न्याया0 द्वारा बिना संलग्न पत्रावली नोटिस का अवलोकन किये सरसरी तौर पर आदेश 9 नियम 5 जा0दी0 के तहत अपीलांट/प्रार्थी का प्रार्थना पत्र धारा 212 खारिज कर दिया जबकि उक्त

प्रकरण आदेश 9 नियम 5 की परिधि में ही नहीं आता है क्योंकि हस्तगत प्रकरण में अधी0न्याया0 द्वारा पुनः शेष अप्रार्थीगण को नोटिस जारी करने के कोई भी आदेश पारित नही किये गये थे इसके बावजूद अपीलांट द्वारा शेष अप्रार्थीगण के नोटिस दिनांक 23.11.2015 को दिनांक 12.1.2016 की तारीख पेशी के पेश किये जो तामीलशुदा पत्रावली पर उपलब्ध है । हमनें विद्वान वकील अपीलांट द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत आर0एल0डब्ल्यू0 2017 (1) रेवेन्यू पेज 481 का अवलोकन किया जिसमें यह प्रतिपादित किया गया है किः––– ''आदेश 9 नियम 5 जा0दी0 विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर प्रोसेस शुल्क और सम्मन पेश नहीं करने के कारण वाद खारिज हुआ–प्रतिवादी संख्या 1 से 5 पर सम्मन तामील हुए एवं प्रतिवादी संख्या 3 व 4 उपस्थित हुए'–मामला सुनवाई हेतु दिनांक 9. 9.2016 को नियत था–पक्षकारों को बिना किसी नोटिस के मामला दिनांक 14.6.2016 को लोक अदालत में रखा गया और सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 9 नियम 5 के प्रावधानों की अनुपालना के आधार पर खारिज किया–अभिनिर्धारित–इस मामले में सिविल प्रक्रिया प्रक्रिया संहिता के आदेश 9 नियम 5 जा0दी0 के प्रावधाना लागू नहीं होते है–नये सिरे से पी0एफ0 और पेश करने का कोई आदेश नहीं–––'' इस प्रकार उक्त दृष्टांत के परिपेक्ष्य में अधी0न्याया0 के निर्णय को विधिसम्मत् नहीं माना जा सकता है । उपरोक्त विवेचनानुसार अपील अपीलांट आंशिक स्वीकार योग्य होकर प्रकरण अधी0न्याया0 को प्रतिप्रेषित किये जाने योग्य पाया जाता है ।

9. अतः अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है। विद्वान सहायक कलक्टर (मुख्यालय) अजमेर द्वारा पारित आदेश दिनांक 8.7.2016 को निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण अधी0न्याया0 को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे उभयपक्षों को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर प्रार्थना पत्र को गुणावगुण पर निर्णित करे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।

(मेघना चौधरी)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

10. निर्णय आज दिनांक 21.12.2020 मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया ।

(मेघना चौधरी)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर